

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) स्थायीकरण/अलेसे-III/6379

दिनांक :- 15-12-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री
संबंधित कनिष्ठ लेखाकार
(संलग्न सूची के अनुसार)

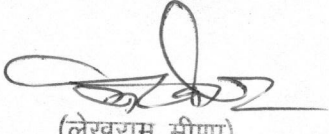
विषय:- कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर स्थायीकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति के क्रम में।

प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ. 4(ई)(1)(6)/स्थायीकरण/अलेसे-III/1773 दिनांक 13.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा-2013 में चयनित कनिष्ठ लेखाकारों, जिनकी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण हो रही हैं, को विभागीय प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर स्थायीकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रोफोर्मा में चाही गई सूचना कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में आपके स्थायीकरण/नियमित वेतनमान स्वीकृति हेतु आपके कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त प्रकरण में निम्नानुसार कमियाँ पाई गई हैं:-

क्र. स.	नाम कनि. लेखाकार (सर्वश्री)	मेरिट नं.		आक्षेप विवरण			
		नई	पुरानी	पुलिस सत्यापन बाकी (जिले का नाम)	संस्थानिक प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम	आधारभूत प्रशिक्षण (2 सप्ताह) की उपस्थिति का प्रमाण-पत्र	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदीप कुमार गौतम		973	जयपुर एवं सवाई माधोपुर	—	—	—
2	पुष्पेन्द्र सिंह शक्तावत		2101	डूंगरपुर एवं उदयपुर।	—	—	—
3	प्रशांत चौधरी		377	जयपुर (शहर)	—	—	—
4	दीपक यादव		1234	झुन्झनू	—	अप्राप्त	—
5	पूजा		2787	जोधपुर	—	—	—
6	पिंकी		2245	पश्चिम बंगाल	—	—	—
7	प्रवेश माथुर		984	—	—	—	NOC, विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। पुलिस सत्यापन अपूर्ण है।
8	प्रीति चौधरी		2823	झुन्झनू	—	—	—
9	पुखराज गोड		919	जयपुर एवं सवाई माधोपुर	—	—	—

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके नाम के सम्मुख अंकित आक्षेप/कमी की पूर्ति करावे ताकि स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जा सके।


(लेखराम मीणा)

उप निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) स्थायीकरण/अलेसे-III/6379

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 15-12-2020

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

2. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उप निदेशक (कार्मिक-III)